/

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–75/2016 484L /कृ0, पटना, दिनांक–17-11-2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) **अनौपचारिक रूप** द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+) **से परामर्शित।**

विषय : **रबी 2016– 17 अंतर्गत प्रमाणित बीज को बढ़ावा देने हेतु राज्य के बीज उत्पादक किसानों को आधार बीज पर अनुदान योजना की स्वीकृति हेतु 618.94 लाख रू0 (छः करोड़ अठारह लाख चौरानवें हजार रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

2. निदेशानुसार, रबी 2016– 17 अंतर्गत प्रमाणित बीज को बढ़ावा देने हेतु राज्य के बीज उत्पादक किसानों को आधार बीज पर अनुदान योजना की स्वीकृति हेतु 618.94 लाख रू0 (छः करोड़ अठारह लाख चौरानवें हजार रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर फसलों के गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है।

4. आधार बीज अनुदान योजना वर्ष 2016–17 रबी का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 एवं कोटिवार राशि का विवरण अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 रबी के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/अनुदान दर का विवरण निम्न प्रकार है

फसल	भौतिक लक्ष्य (आधार बीज) (क्वीं0 में)	अनुदान का दर (रू0/क्वीं0)	वितीय लक्ष्य अनुदान राशि (लाख रू0 में)	अनुमानित प्रमाणित बीज की उत्पादित मात्रा (क्वीं0 में)
1	2	3	4	5
गेहूँ	51150	1000	511.50	1023000
मसूर	860	5000	43.00	25800
मटर	13	5000	0.65	130
चना	1250	5000	62.50	18750
राई/सरसों	34	3300	1.12	3400
तीसी	5	3300	0.17	250
कुल	**53312**		**618.94**	**1071330**

5. योजना में भाग लेने हेतु इच्छुक किसानों को सर्वप्रथम अपना निबंधन कृषि विभाग के बेवसाइट www.krishimis.in पर कराना अनिवार्य है। किसान द्वारा बेवसाइट पर निबंधन में अपना नाम, पूर्ण पता, आधार कार्ड नं0, बैंक का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं बैंक खाता नं0 तथा जमीन के संबंध में पूर्ण सूचना की प्रवृष्टि करना अनिवार्य होगा। अनुभवी बीज उत्पादक किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

E:\ABHINAV\2016-17\Rabi 2016-17.docx

6. किसान द्वारा फसलों के आधार बीज का क्रय राज्य के निम्न आधार बीज उत्पादक संस्था से ही किया जायेगा।

क्र0 सं0	उत्पादक संस्था का नाम	फसलवार आधार बीज की उपलब्धता (क्वीं0 में)					
		गेहूँ	मसूर	मटर	चना	राई / सरसों	तीसी
1	Kribhco, Ara, Bhojpur	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	India Gate Crop Science Pusa Bhawan Birnawa Samastipur	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	S.P.R.D Seed Processing Unit Gopalganj	700.00	28.00	13.00	13.00	0.00	0.00
4	Borloug Instute for south Asia- samastipur	805.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
5	Paras Agro Seeds, Khanpur samastipur	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pusa Beej Farm	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Mehta Beej Nigam, Dholi Muzaffarpur	322.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00
8	Abhyodaya Agro & Infratructure Pvt. Ltd. Chand Kaimur	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Hindustan Insectiside Ltd.Patna (HIL)	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Ratnagiri Seeds & Farms, Buxar	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Grow Grain Agro, Karhagar, Rohtas	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	BRBN (Govt. Farm)	41331.50	1481.48	0.00	979.55	1230.00	5.00
13	KVK & University	6099.10	351.40	0.00	117.00	0.00	0.00
14	Shiv Ganga Seeds Heamantpur, Ara, Bhojpur	0.00	140.00	0.00	39.00	0.00	0.00
15	Mahalakshmi Seeds Corporation, Begusarai	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
	Total	**53244.10**	**2000.88**	**13.00**	**1257.55**	**1234.80**	**5.00**

7. उपरोक्त संस्थाओं द्वारा कृषकों को तीन प्रति में कैशमेमो उपलब्ध कराया जायेगा। किसान को कैशमेमो की 3 प्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसान आधार बीज उत्पादक संस्था से बीज क्रय कैशमेमो की एक प्रति बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को उपलब्ध कराते हुए बीज उत्पादन क्षेत्र से संबंधित फसलों के रकवा का निबंधन करायेगें।

8. बीज उत्पादक किसान को उत्पादित प्रमाणित बीज के विपणन हेतु राज्य में कार्य कर रही सरकारी या निजी बीज कम्पनी/प्रतिष्ठान के साथ सम्बद्ध होना अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता का प्रमाण पत्र अनुदान दावा हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

9. बीज प्रमाणन एजेन्सी के फसलवार निबंधित रकवा के प्रमाण पत्र के साथ किसान अनुमान्य अनुदान राशि हेतु दावा संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के पास करेगें।

10. जिला कृषि पदाधिकारी बीज प्रमाणन एजेन्सी के बीज उत्पादक प्रतिष्ठानों की सूची तथा निर्गत आधार बीज टैग संख्या जो ऑनलाईन डाटाबेस के रूप में बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के पास उनकी बेवसाइट पर उपलब्ध रहेगा उससे किसान के द्वारा उपलब्ध कराये गये टैग एवं प्रमाणन एजेन्सी के प्रमाण पत्र से मिलान कर प्रमाण पत्र की जांच कर अनुदान दावा सत्यापन उपरान्त अनुमान्य अनुदान राशि की कोषागार से निकासी कर किसान के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

12. योजनान्तर्गत एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। 10 एकड़ क्षेत्र में एक से अधिक फसल लिया जा सकता है।

13. योजना के कार्यान्वयन के बिन्दुओं में यथाआवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

14. योजना अंतर्गत बजट शीर्ष उपबंधित राशि, स्वीकृति राशि निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रूपये में)

	बजट शीर्ष	उपबंध	स्वीकृत राशि
(i)	मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–बीज, मांग सं0–01,उपशीर्ष–0109 बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड–P2401001030109,राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5682, विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी	7410.00	482.77
(ii)	मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं0–01, उपशीर्ष– 0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड– P2401007890117, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-5015 विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी	1900.00	123.79
(iii)	मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं0–01, उपशीर्ष– 0140, बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड– P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-5015, विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी	190.00	12.38
	योग	**9500.00**	**618.94**

15. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–75/2016 के पृ0सं0– 24/प0 पर दिनांक : 24.10.2016 को प्राप्त है।

16. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–75/2016 के पृ0सं0–12/टि0 पर दिनांक 14.11.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16/11/16

(रामजी सिंह)
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–75/2016– 4841 /कृ0, पटना दिनांक– 17-11- 2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/11/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\Rabi 2016-17.docx

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–75/2016– 4841 /कृ0, पटना दिनांक–17-11-2016

प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/11/16

सरकार के विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–75/2016– 4841 /कृ0, पटना दिनांक–17-11-2016

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/11/16

सरकार के विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–75/2016– 4841 /कृ0, पटना दिनांक–17-11-2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक/निदेशक, पी0पी0एम0/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/11/16

सरकार के विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\Rabi 2016-17.docx